न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—63/2019 (GCMS No. 2019/00067) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामदास पुत्र गोपी
2. प्रहलाद पुत्र गोपी
3. शान्ति पुत्री गोपी
4. चन्दप्रकाश
5. मनोज
6. दिलीप

} पिसरान बद्रीप्रसाद

7. सरोज पुत्री बद्री प्रसाद
8. श्रीमती गुलाव वेवा बद्रीप्रसाद

} अेकवाम वैरवान निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. सचिव, नगर सुधार न्यास सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर दिनांक 06.10.2015 व मु.नं. 11/2012 उनवान रामदास आदि बनाम सरकार

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य

दिनांक : 23.02.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के निर्णय दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम आलनपुर की भूमि साबिक खसरा नंबर 1723/121 रकवा 5

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बीघा 14 विस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2126, 2749 व 2753 बने हैं। साबिक ख. नं. 1723 नक्शा ट्रेस में कहीं भी तरमीम नहीं है। इस कारण सैटलमेंट द्वारा हाल ख.नं. 2126, 2749 व 2753 अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि मौके पर ख.नं. 2749 पर अपीलान्टस का कब्जा नहीं है व अपीलान्टस की खातेदारी ख.नं. 2126 पर आबादी बसी हुई है। अपीलान्टस के कब्जे की भूमि ख.नं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टेयर में से 0.28 हैक्टे. पर है। ख.नं. 2753 रकवा 1.16 हैक्टे. है लेकिन भू प्रबंध विभाग ने प्रार्थीगण के कब्जे का ख.नं. 2752 को सिवायचक दर्ज कर दिया एवं 2749 अपीलान्टस के खाते में गलत दर्ज कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम आलनपुर की भूमि ख.नं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. जो वर्तमान में नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है में से 0.28 हैक्टे. नगर विकास न्यास के खाते में से हजफ किया जाकर अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 2749 रकवा 0.28 हैक्टे. अपीलान्टस की खातेदारी में से हजफ कर नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के खाते में दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के जबाब के आधार पर खसरा नम्बर 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. भूमि बांके ग्राम आलनपुर नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की भूमि मानते हुये अपीलान्टस के नाम खातेदारी में दर्ज करना न्याय संगत नहीं मानते हुये अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2015 को खारिज कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड व साविक नक्शा पर गौर नहीं फरमाया गया। न्यायालय ने रेस्पोडैन्ट संख्या 2 नगर सुधार न्यास द्वारा प्रस्तुत जबाब का ही आधार मानते हुये आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षेत्रफल में दर्शाई गई साबिक आराजी ख.नं.1723/121 से हाल निर्मित किये गये ख.नं. 2749 पर अपीलान्टस का कभी भी कोई कब्जा नहीं है बल्कि हाल ख.नं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. में से 0.28 एअर पर कब्जा काश्त आज भी अपीलान्टस का है। रेस्पोडैन्टान का आज तक इस हिस्से पर कब्जा नहीं रहा। इस तथ्य को स्वयं रेस्पोडैन्ट स्वीकार करते हैं तथा तहत अदालत ने भी माना है फिर भी तहत अदालत ने मौके के विपरीत फाईण्डिंग देते हुये आलोच्य आदेश पारित कर दिया।अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि बंदोवस्त विभाग को एक खातेदार की खातेदारी की खातेदारी अधिकार को समाप्त करने को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जब तक कि किसी सक्षम आदेश से उन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पृविष्टियों को बदला नहीं गया हो। तहत न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दुओं पर गौर न फरमाते हुये आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र अपीलान्टस स्वीकार किया जावे व खसरा नम्बर 2752 का रकवा 0.20 एअर अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। खसरा नम्बर 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. भूमि नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की होने के कारण उसके नाम दर्ज है जिसे अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि बांके ग्राम आलनपुर के साविक खसरा नम्बर 1723/121 रकवा 5 बीघा 14 विस्वा से नवीन ख.नं. 2126, 2749 व 2753 बने हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार इन हाल खसरा नम्बरान की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। ख. नं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. भूमि सिवायचक दर्ज थी जिसे नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट ख.नं. 2749 रकवा 0.28 हैक्टे. का खातेदार है। अपीलान्ट का कथन है कि उसका ख.नं. 2749 पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि ख.नं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. में से 0.28 एयर पर कब्जा काश्त है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक आराजी खसरा संख्या 2749 रकवा 0.28 हैक्टे. को सिवायचक करके खसरा संख्या 2752 रकवा 0.28 हैक्टे. पर खातेदारी चाहता है जबकि खसरा संख्या 2749 रकवा 0.28 हैक्टे. पर खातेदारान द्वारा तार फैंसिंग कर कब्जा कर रखा है। तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। ख.सं. 2752 रकवा 0.47 हैक्टे. सिवायचक आराजी थी जो नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट को उक्त आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश में न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 06.10.2015 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर